न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 159/2010/75 एलआर एक्ट

1. दलीप सिंह स्व. गणेशाराम जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र स्व. गणेशाराम जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णकुमार पुत्र स्व. गणेशाराम (फौत)

3/1 रामेश्वरी धर्मपत्नि स्व. कृष्णकुमार जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3/2 अमित पुत्र स्व. कृष्णकुमार जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3/3 शारदा (पुत्री स्व. कृष्णकुमार) पत्नि संदीप जाखड़ जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3/4 मोनिका (पुत्री स्व. कृष्णकुमार) पत्नि धर्मवीर बलीहारा जाति जाट निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/5 तारा (पुत्री स्व. कृष्णकुमार) पत्नि अशोक कुमार जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4. अंगदकुमार पुत्र स्व. गणेशाराम (मृतक)

4/1 श्रीमति गुलाबदेवी पत्नि स्व. अंगदकुमार जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4/2 प्रशांद पुत्र स्व. अंगदकुमार जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4/3 सविता पुत्री स्व. अंगदकुमार जाति जाट निवासी पीकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.11.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी पत्रावली बअनवानी गणेशा पुत्र बींझा राम गैरखातेदार रकबा सिवाय चक दर्ज करने बाबत

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–02.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने प्रश्नगत भूमि चक 23 एनजीसी प.न. 185/268 कि.न. 6 ता 8, 13, 14 कुल 5.00 बीघा को

गैरखातेदारी होना मानते हुए व सैल रजिस्टर मे इस भूमि का खाता नही होने के आधार पर इस रकबा को सिवाय चक दर्ज करने की सिफारिश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की। अधीनस्थ न्यायालय ने सैल रजिस्टर मे खाता न खुलने व इस भूमि के संबंध मे आवंटन संबंधी कोई साक्ष्य न होने का आधार लेकर उक्त भूमि वैधानिक रूप से आवंटन नही होने का अवलम्ब लेकर उक्त भूमि को अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत सिवाय चक दर्ज करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश फरमाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि स्व. गणेशाराम की आवंटित भूमि नही थी बल्कि उनके हिस्सेदारी व बिस्वेदारी की भूमि थी जो निरन्तर उनके कब्जा काश्त मे रही। उक्त भूमि खसरा नं. 788 मे पैमूद थी तथ चकबंदी के दौरान तत्कालीन चक 21 सीडीआर के प.न. 185/268 मु.न. 29 के कि.न. 6 ता 8, 13, 14 मे पैमूद हुई। यह भूमि गलत रूप से आराजीराज दर्ज हुई थी। कालान्तर मे न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त के निर्णय दिनांक 14.06.65 के अनुसरण मे उक्त भूमि पुनः श्री गणेशाराम की हिस्सेदारी की दर्ज करने के आदेश हुए तथा इस आदेश के अनुसरण मे पर्चा खतौनी मे दिनांक 14.10.65 को नोट अंकित करते हुए अमलदरामद हुआ परन्तु राजस्व रिकार्ड मे उक्त नोट अंकित होने के बावजूद अमलदरामद नही हुआ तथा कालान्तर मे भू–प्रबन्ध विभाग ने इस भूमि को गलत रूप से गैरखातेदारी अंकित कर दिया। यह भूमि ना तो आवंटित थी व ना ही इस भूमि की कोई किश्ते तय हुई थी इस कारण ही सेल रजिस्टर मे इस भूमि का कोई खाता नही है। भू–प्रबन्ध अधिकारी ने सक्षम न्यायालय एसीसी साहब के आदेश के विपरीत प्रमांकन पर्चा मे गणेशा वल्द बीझा कौम जाट के बाद बिना अधिकारिता एवं बिना किसी आदेश पुख्ता अलॉटी गैरखातेदार दर्ज कर दिया जबकि यह भूमि गणेशाराम की हिस्सेदारी की थी ना कि पुख्ता अलॉटमेंट था। इसी गलत पर्चा प्रमांकन के आधार पर भूप्रबन्ध विभाग ने भू–प्रबन्ध के दौरान बनी खतौनी जमाबंदी सम्वत 2033 से 2042 मे गणेशा वल्द बीझा को पुख्ता आवंटन गैर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि यह भूमि ना तो पुख्ता आवंटित थी और ना ही गैरखातेदारी थी। सैटलमेंट विभाग

को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के जमाबंदी पुख्ता आवंटन गैरखातेदार दर्ज किया जिसका उन्हे अधिकार नही था। अपीलाधीन आदेश पारित होने के समय गणेशाराम फौत हो चुके थे। कोई नोटिस जारी ही नही हुआ व मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही हुआ। यदि उक्त भूमि आवंटित होती तो निश्चित तौर पर सेल रजिस्टर मे खाता होता। अपीलाधीन आदेश गलत विधि विरूद्ध है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2003 पेज 118, आरबीजे 1998 पेज 163, आरबीजे 1998 पेज 274, आरबीजे 1998 पेज 610 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि गणेशाराम के नाम चक 23 एनजीसी के प.न. 185/268 कि.न. 6 ता 8, 13, 14 कुल 5 बीघा नाली द्वितीय भूमि गैर खातेदार दर्ज है लेकिन सैल रजिस्टर मे खाता नही है। गैर खातेदार को बार बार नोटिस दिए गए, लेकिन इनके द्वारा ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और ना ही उपस्थित आया है। ऐसी स्थिति मे उक्त रकबा रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज किया जाना एवं कब्जा बहक सरकार लिया जाना आपेक्षित होने के रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रश्नगत भूमि सिवाय चक दर्ज करने एवं कब्जा बहक सरकार लिये हेतु आदेश पारित किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 788 मे पैमूद थी तथा चकबंदी के दौरान तत्कालीन चक 21 सीडीआर के प.न. 185/268 मु.न. 29 के कि.न. 6 ता 8, 13, 14 मे पैमूद हुई। यह भूमि गलत रूप से आराजीराज दर्ज होने के उपरांत न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त के निर्णय दिनांक 14.06.65 के अनुसरण मे उक्त भूमि पुनः श्री गणेशाराम की हिस्सेदारी की दर्ज करने के

आदेश हुए तथा इस आदेश के अनुसरण मे पर्चा खतौनी मे दिनांक 14.10.65 को नोट अंकित करते हुए अमलदरामद हुआ परन्तु राजस्व रिकार्ड मे उक्त नोट अंकित होने के बावजूद अमलदरामद नही हुआ तथा कालान्तर मे भू–प्रबन्ध विभाग ने इस भूमि को गलत रूप से गैरखातेदारी अंकित कर दिया जबकि यह भूमि ना तो पुख्ता आवंटित थी और ना ही गैरखातेदारी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर गैरखातेदारी अंकन के आधार सैल रजिस्टर मे खाता न होने के कारण अपीलांट व उनके पूर्वज को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2010 निरस्त किया जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ